न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 76 / 2023

1 मक्खनलाल आयु 32 साल पुत्र जवानाराम जाति गुर्जर निवासी हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मालीराम पुत्र सुण्डाराम जाति महाजन निवासी ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. हाल निवासी झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर राज.।
2 पल्लवी पत्नी ताराचन्द जाति महाजन निवासी एस–31, संजय कॉलोनी पानीपेच शास्त्री नगर जयपर जिला–जयपुर राज.।
3 पटवारी पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4 उप पंजीयक तहसील अजीतगढ़।
5 उप तहसीलदार अजीतगढ़।
6 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि.
विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.05.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर प्रकरण संख्या 77 / 2022 जीसीएमएस संख्या 2022 / 136, उनवानी 'मक्खनलाल बनाम मालीराम आदि' दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
(अ. धारा 92 के राजस्थान का. अधिनियम)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 77/2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3709 वाके ग्राम झाडली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 3709 रकबा 1.27 है. तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मालीराम पुश्तैनी खातेदारी, कब्जे, काश्त की भूमि है जो कि अपीलान्ट की बहिन श्रीमती गेंदी देवी के नाम खातेदार दर्ज है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कदीमी काल से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा गेंदी देवी की मृत्यु उपरांत भी उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मालीराम का ही कब्जा, काश्त है, अपीलान्ट ने जरिए इकरारनामा दिनांक 24.02.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व श्रीमती गेंदी देवी के वारिसान की सहमति से उक्त आराजी को खरीद किया था और इकरारनामें के दिन ही प्रतिफल राशि मालीराम व खातेदार गेंदी देवी के वारिसान को सुपुर्द कर दी थी और उक्त आराजी का कब्जा उसी दिन भौतिक रूप से प्राप्त कर लिया था। वादग्रस्त खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3709 रकबा 1.27 है. तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर पर अपीलांट दिनांक 24.02.2022 को इकरारनामा करने के पश्चात से ही काबिज है तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ छल कपट करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 पल्लवी देवी के नाम इकरारनामा के करीब 4 महिने बाद विक्रय–पत्र फर्जी रूप से तस्दीक करवा दिया उक्त विक्रय–पत्र के जरिए भौतिक कब्जे का कोई आदान–प्रदान नहीं हुआ जो किसी भी भूमि के विक्रय–पत्र के लिए अहम विषय होता है, विचारण न्यायालय ने विक्रय–पत्र के आधार पर भौतिक कब्जे का कोई सत्यापन, मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी इसलिए फर्जी विक्रय–पत्र के आधार पर वादी का वाद गलत रूप से खाजिर कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। वाद–पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का है जिस पर विचारण न्यायालय ने मात्र एक आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आधार बनाते हुए खारिज कर दिया जबकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में इस तरह का कोई न्यायिक दृष्टांत चश्पा नहीं किया गया है कि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को बिना किसी विधिक कारण के खारिज कर दिया जावें। अदालत ने वादी को सुनवाई का कोई अवसर नीं दिया गया मात्र अपनी मनमर्जी से आदेशिकाओं पर उल्लेखित किया गया है कि सुनवाई का अवसर दिया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.05.2023 प्रकरण संख्या 77/2022, मुकदमा बउनवानी 'मक्खनलाल बनाम मालीराम आदि' सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला सीकर को खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3709 वाके ग्राम झाडली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करते हुए वादी द्वारा इस प्रकरण में अनुतोष चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3709 रकबा 1.27 है. तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादी के उपयोग उपभोग में न तो स्वयं मजाहमत करें ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करें तथा ना ही अन्य भूमाफिया किस्म के व्यक्तियों का बलात कब्जा करवाये तथा ना ही उक्त भूमि को अन्य दीगर को बेचान व अंतरित करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व प्रतिवादी नं. 3 ता 6 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों से दर्शित होता है कि वादी द्वारा खातेदार/प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 के आधार पर केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त इकरारनामा में विकेता खातेदार ना होकर कोई दीगर व्यक्ति है तथा उक्त इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 को अवलोकन किया गया जिसमें ना तो इकरारनामा में वर्णित राशि 1,11,00,000 अक्षरे एक करोड़ ग्यारह लाख रूपये का भुगतान किया गया ना ही उक्त इकरारनामा रजिस्टर्ड है ना ही उक्त इकरारनामा में उक्त भूमि के खातेदार द्वारा उक्त भूमि को बेचान किया गया है तथा अगर वादी को उक्त इकरारनामा के आधार पर उक्त भूमि में कोई अनुतोष प्राप्त करना है तो उक्त वादपत्र को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा वादी द्वारा खातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित है तथा ना ही वादी को उक्त भूमि का टाईटल प्राप्त है, ना ही वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार असली मालिक के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती है। अतः ऐसी परिस्थितियों में वादी उक्त इकरारनामा के आधार पर खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध के विरूद्ध राजस्व न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना ही वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है तथा उक्त इकरारनामा की पालना हुये बिना वादी का वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रणाधिकार का ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा वादी सक्षम सिविल न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध सक्षम कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3709 वाके ग्राम झाडली पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय में वादी द्वारा यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करते हुए वादी द्वारा इस प्रकरण में अनुतोष चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3709 रकबा 1.27 है. तन ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादी के उपयोग उपभोग में न तो स्वयं मजाहमत करें ना ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करें तथा ना ही अन्य भूमाफिया किस्म के व्यक्तियों का बलात कब्जा करवाये तथा ना ही उक्त भूमि को अन्य दीगर को बेचान व अंतरित करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व प्रतिवादी नं. 3 ता 6 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों से दर्शित होता है कि वादी द्वारा खातेदार/प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 के आधार पर केवल मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त इकरारनामा में विकेता खातेदार ना होकर कोई दीगर व्यक्ति है तथा उक्त इकरारनामा दिनांकित 24.02.2022 को अवलोकन किया गया जिसमें ना तो इकरारनामा में वर्णित राशि 1,11,00,000 अक्षरे एक करोड़ ग्यारह लाख रूपये का भुगतान किया गया ना ही उक्त इकरारनामा रजिस्टर्ड है ना ही उक्त इकरारनामा में उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि के खातेदार द्वारा उक्त भूमि को बेचान किया गया है तथा अगर वादी को उक्त इकरारनामा के आधार पर उक्त भूमि में कोई अनुतोष प्राप्त करना है तो उक्त वादपत्र को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा वादी द्वारा खातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित है तथा ना ही वादी को उक्त भूमि का टाईटल प्राप्त है, ना ही वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है।

वादी को प्रतिवादी नम्बर 2 खातेदार/असली मालिक के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा उक्त इकरारनामा की पालना हुये बिना वादी का वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रणाधिकार का ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा वादी सक्षम सिविल न्यायालय में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध सक्षम कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर